बिहार विधान सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि २ मार्च १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने में बृहस्पतिवार तिथि २ मार्च १९५० को ११ बजे पुर्वाह्न में उपाध्यक्ष श्री देवशरण सिंह के सभापतित्व में हुआ।

vote से ही रुपया खर्च होगा। हम लोग यहाँ republican citizen की हैसियत से इस पर बहस और एतराज कर सकते हैं। मगर इस मौके पर हमारे दोस्त convtion कायम करना चाहते हैं तो वह बड़ा खतरनाक होगा क्योंकि जो चीज charged है इसपर तो बहस नहीं होती है। लेकिन जब discretionary grant charged नहीं है तो हम लोग बहस कर सकते हैं। जनाब सदर, मैं इस किस्मका convention को कायम नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन चूँकि हमारे दोस्त इस मामले में खुद कहा है कि गवर्नर साहब ने खुद अपनी राय जाहिर की है तो मैं अभी इसे press नहीं करता हूं। मगर मैं हरगिज ऐसा convention कायम नहीं होने दूँगा। जो मांगा जायगा उसपर बहस होगा और कदम कदम पर मैं बहस व एतराज करूँगा। हमारे दोस्त monarchieal tradition कायम करना चाहते हैं। मगर मैं हरगिज उसको कायम नहीं होने दूँगा। गवर्नर साहब के नाम से कोई भी चीज मँगी जाय और उसपर बहस न हो तो बहुत ही नामुनासिब होगा। मगर सिर्फ इस सालके लिए मैं छोड़ देता हूं लेकिन आइन्दे साल मैं cut motion दूँगा और बड़े जोरशोर के साथ बहस करूँगा। अभी मैं मान जाता हूं और press नहीं करता हूं।

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

माननीय मन्त्रियों के खर्च के लिए डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट
Discretionary grants at the disposal of thehon'ble ministe s

Shri Mohammad abdul ghani: sir, i beg to move—

that the item of Rs. 65,000/- for discretionary grants at the disposal of hon'ble ministers be reduced by Rs. 60,000/- यह बिल-कुल economy cut है। जहां तक शिड्यूल का ताल्लुक है उसमें है—

Discretionary grants are placed at the disposal of the hon'ble ministers to meet numerous requests for grants for objects deserving assistance from public funds; which are made to them in course of their tours or otherwise.

हर मिनिस्टरको १५ सौ और chief minister साहब को २५ सौ रुपये जरूरी कामों के लिए grant दिया गया है। उसके रहने से हर साल यह रुपया देना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके साथ नहीं हूं। आज मंहगी का जमाना है। अगर आप गल्ला खरीदते हैं तो २० लाख रुपया अमलों पर खर्च कर देते हैं। और इस किस्म की चीज जहां जहां है वह कैसे हमारे लोगोंके लिए मुफीद हो सकती है। इससे सूबे की जनता को क्या फायदा पहुंचेगा। सूबे की जो हालत

है खास कर गल्ले के बारे में, वह हाऊस के सामने जाहिर है। ऐसी हालत में इतना रुपया discretionary grants में दे देना मुनासिब नहीं होगा। मैं मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा कि वे इसपर खुद consider करें कि आज ५ हजार रुपया जो हम discretionary grants के लिए मांगते हैं वह कहां तक मुनासिब है जब कि हमारे लोग तकलीफ में पड़े हुए हैं। हां, यह हम मान सकते हैं कि chief minister साहब को इसकी जरूरत रहा करती है और उनके लिए discretionary grants का ज्यादा रहना मुनासिब भी है। लेकिन सभी मिनिस्टर लोगों को इतना ज्यादा रुपया discretionary grants के लिए देना जायज नहीं हैं। अगर इसकी यही हालत रही और इसका गलत इस्तेमाल होता रहा तो थोड़े ही दिनों में एस० डी० ओ० भी discretionary grants मांगने लगेंगे। यह गलत इस्तेमाल है। हमारे मिनिस्टर साहब पर जिनको जोर पड़ेगा उनके गुजारे के लिए चार-छः सौ रुपया मिल जायगा। हमारा ख्याल है कि वह discretionary grants नहीं रहना चाहिये। अगर चीफ़ मिनिस्टर साहब को ५ हजार दे दें और रुपये बचा लें तो बचे ४० हजार रुपया गरीब जनता का गलत इस्तेमाल होने से बच जायगा। लेकिन हम तो देखते हैं नये बजट में दो लाख रुपया discretionary grants के लिए रखा गया है यानी अभी जो ५ हजार मिल रहा है उसके अलावे एडिशनल ५ हजार और दिया जाय। यह हाऊस को मजूर नहीं करना चाहिये। आप कह सकते है कि पहले भी २०-२० हजार discretionary grants के लिए रखा जाता था तो यह ५ हजार कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन आपको समझना चाहिये कि पहले जहां २ मिनिस्टर रहते थे वहां आज ९ मिनिस्टर हैं। इसके अलावे पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी लोग भी कहेंगे कि हमको भी क्यों नहीं discretionary grants दिया जाता है ?

माननीय पण्डित विनोदानन्द झा: उपाध्यक्ष महोदय, on apoint of order मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह बहस supplimentary Dimands पर है और गनी साहब की स्पीच उसी सीमाके अन्दर होनी चाहिये लेकिन उनकी स्पीच genaral nature की हो गयी है। उनको इसका ख्याल रखना चाहिये।

श्री मुहम्मद अब्दुलगनी : रास्तेपर चलनेवाला इन्सान झाड़ व कांटा वगैरह साफ करता जाता है। मैंने जो कुछ कहा है वह रास्तेपर ही कहा है। हम आप रास्ते से हटे नहीं हैं। हम ६५ हजार रुपया नहीं देना चाहते। अगर यह रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ है और इस उम्मीदपर रखा हुआ है कि ३१ मार्च तक, जब कि बजट पास हो जायगा खर्च किया जायगा, तो मैं समझता हूँ कि इसको देने से हाऊसको साफ २ इन्कार कर देना चाहिये कि हम ५ हजार से अधिक नहीं देंगे और यदि यह रुपया खर्च हो चुका है तो हाउस मजबूर है और वह इतना रुपया नहीं दे सजता है। मिनिस्टर साहब अपने

जेबसे खर्च करें। मैं समजता हूं कि हाउस मेरे इस मोशन की ताइद करेगा।

श्री सैयद अमीन अहमद : जनाब सदर, सवाल यह है कि ६५ हजार फाजिल रुपया जिसे हमारे दोस्त मांगते है वह दिया जाय या नहीं। मेरे दोस्त का ख्याल है कि जिस सूबे का बजट २४ २५ करोड़ है उस सूबे में ६५ हजार रुपया फाजिल खर्चा हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे दोस्तको पता नहीं कि इतने करोड़ रुपये कहां से आये। ये इतनी बड़ी रकम गरीब जनता की कमाई का एक २ पैसा मिलकर ही हुई है जिसको आपने टैक्सके रूप में वसूला है। ऐसी हालतमें ६५ हजार रुपया कोई चीज नहीं है यह कहना कितना खतरनाक है। जनाब सदर कतरा २ मिल कर ही दरिया बनता है। आप का यह State तो आज २६ जनवरी को पैदा हुआ है और एक महीना भी नहीं बीता कि आप कहने लगे कि ६५ हजार कोई चीज नहीं है। इससे तो साफ पता चलता है कि जहां के मिनिस्टरान का यह ख्याल है कि इतनी बड़ी रकम कोई चीज नहीं है और इसका असर बजटपर नहीं पड़ेगा तो मैं कहूंगा कि यह हुकूमत जनता की नहीं बल्कि जारशाही जमाने की है। Discretionary grant में ६५ हजार रुपया रखा गया है। इसमें हम लोगोंको देखना चाहिये कि यह रुपया ठीक तरीके से खर्च होता है या नहीं। मिनिस्टर साहब अगर यह समझें कि एक ही आदमी इसके लेने के काबिल है वो उसको दे देंगे। यह ठीक है कि उनके position को बरकार रखने-के लिए थोड़ी-सी रकम को रखना जरूरी है। लेकिन आप लोग तो अपने हाथ को बढ़ाते जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं क्यों कि Tax payers कितनी तकलीफ से रुपया देते हैं और आप उसको फजूल में खर्चा कर देते हैं। अभी आप लोगोंने कहा है कि Development project में centre ने काफी रुपया नहीं दिया है तो आप इसको curtail करके उस project में क्यों नहीं खर्चा करते। आप कहते हैं कि Deshmukh award आप के लिए अच्छा नहीं हुआ तो क्यों आप रुपया जायज तरीके से नहीं खर्च करके इस तरह से खर्च करते हैं। Essential expenditure और non-essential expenditure में आप को distinguish करना चाहिये।

उपाध्यक्ष प्रश्न यह है कि मिनिस्टर लोगों के discretionary grant रुपयामें दिया जाय इस वसूलको हाउसने मान लिया है। इसलिए इस वसुल पर बहस नहीं हो सकती है। अभी आप सिर्फ इस बातपर बहस कर सकते हैं कि supplimentary demand में additional मांग जो की गयी है वह नहीं मिलनी चाहिये।

श्री सैयद अमीन अहमद : जी हाँ। Essential purpose के लिए या non-essential purpose के लिए जो माँग की गयी है उसी पर हमको बहस करना है। अगर मिनिस्टर साहब इसपर गौर नहीं करते हैं तो हम लोगों का फर्ज है कि उनको बता दें कि ऐसे वक्तपर अच्छे २ कामों केलिए रुपया खर्च करें। और फजूल कामों के लिए न खर्च करें। इसलिए मैं गनी साहबसे अर्ज करुँगा कि अपने motion

के division के लिए press करें ताकि गरीब tax payers समझ जायें कि सूबेके रुपये को जाया करनेके लिए कौन २ हैं और उसको बचाने के लिए कौन २ हैं।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : जनाब सदर। अभी जो भाषण मेरे दोस्त अमीन अहमद साहब ने दिया है वह uninformed criticism का एक नमूना है। मेरा ख्याल है कि यदि अमीन साहब एक starred question के जरिये से एक list obtain कर लेते कि मिनिस्टर लोग अपने discretionary fund को कैसे २ खर्च किया और उसके बाद ही cut motion लाते तो शायद उनके भाषणका असर हाऊस पर अच्छा पड़ता।

मेरा अपना ख्याल है कि discretionary fund जो मिनिस्टरोंको दिया जाता है उसके लिए दलील भी है। साधारणतः पब्लिकका काम बजट के मुताबिक चलता है। मगर मिनिस्टर होने के नाते हम लोगोंको public Institution में भी जाना पड़ता है। जहाँ २ हम लोग Public institution में जाते हैं वहां के लोग हमसे मदद मांगते हैं या हम इसकी खुद जरुरत समझते हैं तो उन Institution में याने स्कूलों में लाईब्रेरी में, अस्पताल में या इसी तरहके दूसरे Charitable institution में कुछ न कुछ मदद देते हैं कि अगर हम कोई public institution में मदद देना चाहें और उसके लिए बाकायदे secretariate में कार्रवाई की जाय और proposal को examine किया जाय और तब आखिर में sanction किया जाय तो इसमें कम से कम एक वर्ष देर लग जायगी। इसीलिए यह जो discretionary fund हम लोगोंके पास है उससे हम लोग फौरन जरुरतके मुताबिक रुपया दे देते हैं। मान लीजिये कि हम किसी library में गये जहां किताब की जरूरत है। अगर उन लोगोंसे यह कहा जाय कि आप लोग उसके लिए दर्खास्त दीजिये कि इतनी किताबें खरीदनी हैं उस proposal पर हम विचार करें और उसके लिए हम वहां अपना अफसर भेजें उसके बाद finance department से उसकी मंजूरी की जाय और रुपया sanction हो तो इसमें सालो साल लग जायगा। इसलिए मान लिया कि अगर वहां सौ रुपये की जरूरत है तो हम उसको अपने discretionary Fund में से दे देते हैं। इसलिए discretionary Fund रखा गया है। यह arbitrary Fund नहीं है बल्कि यह मिनिस्टरके discretion पर है। हम जहाँ मुनासिब समझते हैं रुपया देते हैं।

हमारे अमीन साहब ने कहा है कि बगैर house के मंजूरी के आप रुपया क्यों खर्च करते हैं? तो यह तो वसूलकी बात है। हम रुपया खर्च करते हैं तो उसमें Risk undertaken करते हैं। हम इसको यदि चोरी के साथ इसलिए खर्च करते हैं कि हम समझते हैं कि हमपर House का confidence है। मेरे दोस्त अमीन साहब अकेले हैं और उनकी बात कोई नहीं सुनता है मगर मेरी बातों को यहां सब लोग मानते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद: इसीलिए तो सुन्दरी देवीने कहा था ....

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय: जब आपने यह समझ लिया कि आपके दलीलोंसे काम नहीं चलता है तो आप ने सुन्दरी देवी के बहस का बहाना निकाल लिया।

मैं यह कह रहा था कि हम यदि रुपया खर्च करते हैं तो हम risk लेते हैं। हमने अपने Expenditure को house के सामने रख दिया है और हम समझते हैं कि ६५०००) रुपये में से शायद ही किसी मिनिस्टरके पास हजार रुपया रह गया हो। अगर इसकी नामंजूरी हो जायगी तो हमारी Cabinet fail कर जायगी। चूँकि हमको house पर पूरा Confidence है इसलिए हम in anticipation रुपया खर्च करते हैं।

हमारे गनी साहब ने कहा है कि Chief Minister के लिए जो २५०००) discretionary fund रखा गया है वह बहुत है। हम कहते हैं कि वह ठीक है और इसके लिए Justification है। आप को यह जानना चाहिये कि यह जो रुपया है उसको Back ward class को Scholarship देने में खर्च करते हैं। छोटा नागपुर और संथाल परगना के Aborginal welfare Centres में रुपया देते हैं। मगर और भी बहुत से Back ward क्लास ऐसे हैं जैसे कोइरी, कुरमी ताती इत्यादि जिनका नाम Government of India के Aborginal class के लिस्ट में नहीं हैं। मगर उनकी हालत भी उन्हीं पिछड़ी हुई जातियों जैसी है और उनको भी मदद करना पड़ता है। ऐसे लोगोंके बच्चों की उन्नतिके लिए और उनके पढ़ने के लिए Chief Minister साहब इस फंड में से रुपया खर्च करते हैं।

मैं समझता हूँ कि ६५ हजार रुपया के बारे में जिसके लिए अमीन साहब बहुत परेशान थे, काफी कैफियत दे ही है। और उम्मीद करता हूँ कि House उनके कटमोशन के प्रस्ताव को नामंजूर कर देगी।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी: जनाब सदर, मुझे बड़ी मायूसी हुई कि एक responsible minister के जबान से यह सुन कर कि वे जिस हरह से चाहें रुपया खर्च कर सकते हैं, इसलिये कि उनके पास Vote है। मगर आप को यह ख्याल रखना चाहिये कि यह रुपया वोट देने वालों का नहीं है बल्कि यह रुपया गरीब जनता का है, चूंकि हमारे पास confidence है इसलिए हम अपने मन के मुताबिक रुपया खर्च कर देंगे। यह बिलकुल disappointing argument है।

हमने एक दफा आप को याद होगा यह कहा था कि आप रफ़्ता रफ़्ता monarchy की तरफ आ रहे हैं। आपने जवाब दिया कि नहीं—हम लोग नौ मिनिस्टर हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि आप ठीक उसी लाइन पर चल रहे

है। आप को समझना चाहिये कि एशिया के मुल्कों के लिए western type of democracy suite नहीं करती है। हां, अगर आप भले ही राजा की शकल अख्तियार करके और उसके बाद में हुकूमनामा जारी करें तो शिकायत नहीं होगी, मगर यह जो अभी आप का ढोंग है वह एक दम बेइमानी है।

आपने जो यह principle house के सामने रखा है कि चूंकि मेरे पास में गारण्टी का confidence है इसलिए पब्लिक exchequer का रुपया जिस तरह चाहे खर्च कर सकते हैं यह गलत है। एक मामूली भिखमंगा भी कोर्ट में जाकर sue कर सकता है। उस समय आप के सामने confidence का सवाल नहीं आयेगा बल्कि justification of expenditure का सवाल आयेगा। आप इस वक्त अपनी ताकत के नशे में जो कुछ कर रहे हैं यह democracy के लिए मौज नहीं है। यह तो autocracy की चीज हो जाती है। फलदार दरख्त पर जब फल लगता है तो वह और झुकता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप जनता की हालत पर रहम कीजिये और मैं अर्ज करूंगा कि पांच हजार से ज्यादा discretionary grant के नाम पर नहीं लें। इतना कह कर मैं अपना कटमोशन को press करता हूं।

Deputy Speaker : The question is :

That the item of Rs. 65000/- for discretionary grants at the disposal of the Hon'ble Ministers be reduced by Rs. 60,000/-

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष—चन्द माननीय मेम्बरों का नाम पुकारा मगर किसी ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया।

श्री सैयद अमीन अहमद : अगर Deputy Speaker इजाजत दें तो मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो Motion आया मैं Move कर दूं।

उपाध्यक्ष—शान्ति-शान्ति। जिस मेम्बर में जो प्रस्ताव है वही उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके नाम जो प्रस्ताव होगा वही आप प्रस्तुत कर सकते हैं।

साहाय्य तथा पुनर्वास। Relief and rehabilitation

Mr. Saiyed Amin Ahmad : Sir, I beg to move That the d mand of the 8,91. 388 for General Administration be reduced by Re 1/-

(To discuss the vag ieness of the Relief and Rehabilitation Department)

एक माननीय सदस्य : जनाब सदर—इस Cut motion में जो Purpose लिखा हुआ है। वो Vague है।

माननीय श्री अब्दुल कयूम अंसारी : माननीय सैयद अमीन अहमद की जितनी Speeches होती हैं वे Vague होती हैं। इसी तरह इसको भी Vague ही समझते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद : अफसोस है कि हकदार को रुपया नहीं देना relevant है। और देना irrelevant है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसको देखने से मालूम होता है कि वह इसको पेश नहीं कर सकते क्योंकि यह नियमानुकूल ही है।

कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य अपने प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहते वे उठकर कह दें कि हम इसको पेश नहीं करेंगे।

चौतरवा डोम सेटलमेण्ट में अव्यवस्था।
Mismanagement in the Chautarwa Dom settlement

Mr. Saiyid Amin Ahmed : Sir I beg to move that the provision of Rs 11320/- for Scheduled Castes welfare Grant-in aid be reduced by Re- 1/-

जनाब सदर ये चौतरवा डोम सेटलमेण्ट के बारे में है जिसके मुतल्लिक इस house के मेम्बरों ने कई बार अपनी राय पेश की है। मगर हमारे दोस्त ने अब तक इसको नहीं उठाया है। इस मौजूदा दौर में जब की २६ जनवरी को हमारा मुल्क आजाद हो गया तो भी अफसोस है कि उनकी हालत ज्यों की त्यों रही। मालूम होता है कि यहां की हुकूमत यहां की मेम्बरों की राय की कोई वक्त अब नहीं रखती है। अगर गवर्नमेण्ट को इसका ख्याल रहता तो मुमकीन नहीं को क्रिमनल ट्राइबस एक्ट अब तक कायम रहता।

उपाध्यक्ष : पहले आप देख लीजिये कि जो आप तकरीर कर रहे हैं उसका प्रस्तुत विषय से संबंध है या नहीं। जिस चीज के मुतल्लिक जो Demand हो उसी पर बोलना चाहिये।

श्री सैयद अमीन अहमद : Criminal Tribes Act के मुतल्लिक हम कह रहे हैं कि अब तक नहीं हटाया गया।

उपाध्यक्ष : इसको आप कैसे कह सकते हैं ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी : यह चौतरवा डोम सेटलमेण्ट के बारे में जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा है। वो यहां पर नहीं कह सकते हैं।